पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक कार्मिक
गोरखपुर

ई0पी0सं0—18/02
क्रमांक—258/2017
आरबीई सं0—166/2017
सं0ई/572/24/भाग—III/चार

दिनॉक 22-12-2017

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषयः—सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद नर्सिंग कर्मचारियों के नर्सिंग भत्ते की दर में संशोधन।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं0 ई(पी एण्ड ए)1—2017/एसपी—1/जनरल—3 दिनांक 13.11.2017 की हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

(यू0 पी0 सिंह)
उपमुकाधि/अराज.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर — 40 प्रतियों में।
2— महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर — 02 प्रतियों में।
3— महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर — 02 प्रतियों में।
4— पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर — 01 प्रति में।
5— महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0—02 प्रतियों में।
6— मुकार्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु — 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

महाप्रबन्धक कार्यालय
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
24 NOV 2017

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

पीसी-VII सं. 76
आरबीई सं. / 66 /2017

सं. ई(पी एण्ड ए)I-2017/एसपी-1/जनरल-3 नई दिल्ली, दिनांक 13.11.2017

महाप्रबंधक एवं प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

विषय: सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद नर्सिंग कर्मचारियों के नर्सिंग भत्ते की दर में संशोधन।

भत्ते में संशोधन करने से संबंधित सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन एवं नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार रेलवे अस्पतालों में कार्यरत और भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सभी स्तरों पर सभी कोटियों के नर्सिंग कर्मचारियों के नर्सिंग भत्ते की मौजूदा दर में सहर्ष संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:

क्र. सं.	भत्ता	मौजूदा दरें	7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधित दर
1.	नर्सिंग भत्ता	₹ 4800/- प्रति माह	₹ 7200/- प्रति माह

(क) नर्सिंग भत्ते को वेतन के भाग के रूप में नहीं माना जाएगा, जैसाकि रेल मंत्रालय के दिनांक 17.09.1998 के आदेश के तहत पहले निर्णय लिया गया है।

2. नर्सिंग भत्ते की संशोधित दरें 1 जुलाई, 2017 से लागू होंगी। संशोधित वेतनमान पर देय महंगाई भत्ता बढ़कर 50% होने पर प्रत्येक बार नर्सिंग भत्ते की दर में 25% की वृद्धि होगी।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

4. कृपया पावती दें।

(अनिल कुमार)
उप निदेशक/स्था.(पी एण्ड ए)
रेलवे बोर्ड

सं. ई(पी एण्ड ए)I-2017/एसपी/जनरल-3 नई दिल्ली, दिनांक 13.11.2017

भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली को प्रतिलिपि (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) प्रेषित।